सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 24 नवम्बर, 2017 को भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, नई दिल्ली में आयोजित वित्त समिति की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्य:

1. प्रोफेसर ज्योति प्रकाश तामांग, कुलपति (कार्यकारी)	अध्यक्ष
2. श्रीमती दर्शना एम डबराल [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य [श्री फजल महमूद, उप सचिव (वित्त), एमएचआरडी ने प्रतिनिधित्व किया]
3. श्री सुखबीर सिंह संधु [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य [श्री उमेश कुमार, उप सचिव (सीयू और भा.), एमएचआरडी ने प्रतिनिधित्व किया]
4. डॉ. जितेंद्र. के. त्रिपाठी [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
5. प्रो. अशोक दत्ता [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
6. श्री चेतन सिंह [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
7. श्री एम.जी. किरण [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
8. श्री टी.के.कौल [कुलसचिव]	विशेष आमंत्रित
9. श्री देबाशीष पाल [वित्त अधिकारी]	सदस्य

श्री सी. तालुकदार, उप कुलसचिव (**वित्त**) ने समिति को सहायता प्रदान की।

बैठक शुरू होने से पहले कुलसचिव ने प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, कुलपति (कार्यकारी) और हाल ही में सिक्किम विश्वविद्यालय से जुड़े श्री देबाशीष पाल, वित्त अधिकारी से सदस्यों का परिचय कराया।

बैठक के लिए कोरम पूरा हो गया है, अध्यक्ष ने बैठक प्रारम्भ होने की घोषणा की।

समिति ने एजेंडा के सभी मुद्दों को एक के बाद एक चर्चा की।

एफ़सी: 17.01: दिनांक 19.06.2017 को आयोजित 16वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

जेएस&एफ़ए, एमएचआरडी के स्वीकृति से आईएफ़डी, एमएचआरडी से प्राप्त विचार और टिप्पणी के साथ वित्त समिति की बैठक में विशेष एजेंडा बिन्दु पर एमएचआरडी प्रतिनिधि के व्यक्त विचार को जेएस&एफ़ए, एमएचआरडी के प्रतिनिधि द्वारा कार्यवृत्त में जोड़ने पर ज़ोर दिया। ताकि कार्यवृत्त में संशोधन की अवश्यकता ना पड़ें। असहमति के मामले में, प्रतिनिधि के विचार को **स्पष्ट** रूप से दर्ज किया जाए। ताकि उनकी बात सभी के सामने आ सके। वैकल्पिक रूप से, विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक में एजेंडा विषय पर पावर-पॉइंट **प्रस्तुति** करना चाहती है और स्वयं ही, इस वित्त समिति की सिफ़ारिशों को कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकता है। इसलिए, जेएस&एफ़ए, एमएचआरडी और एएस (सीयू&एल), एमएचआरडी से प्राप्त टिप्पणियों को दर्ज किया गया।

समिति ने दिनांक 19.06.2017 को आयोजित पिछले बैठक के एजेंडा विषय सं. 15:08 और 16:04 के प्रस्तावों में संशोधन के बाद कार्यवृत्त को स्वीकृति दी:-

एफ़सी 15.08: सिक्किम विश्वविद्यालय के अधिकारी को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा वित्त अधिकारी के परामर्श से आंतरिक लेखा प्रणाली स्थापित करने के बाद समिति द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार करना का निर्णय किया गया।

समिति ने विश्वविद्यालय को दिनांक 3 मार्च, 2016 के एमएचआरडी पत्र सं. 61-19/2019-desk(U) को अनुसरण करने का सुझाव दिया।

एफ़सी:16.04: यूजीसी के निर्धारित प्रारूप में भवन परियोजना का योजना व्यय

समिति को सूचित किया गया कि यांगयांग परिसर की भवन परियोजना के कार्य आदेश को जीएफ़आर और सीवीसी दिशा-निर्देश के अनुसार जारी किया गया है। यूजीसी के आदेश 25.11.2016 के अनुसार यूजीसी की स्थायी समिति की मंजूरी जरूरी नहीं है, क्योंकि यूजीसी का आदेश सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 25.10.2016 को जारी कार्य आदेश के बाद जारी किया गया है।

कारवाई की रिपोर्ट

एफ़सी:17.02: दिनांक 19.06.2017 को आयोजित 16वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर कारवाई रिपोर्ट

अंतिम बैठक (विषय सं. एफ़सी 16:01 से एफ़सी 16:10) में लिए गए निर्णय पर विश्वविद्यालय द्वारा एक के बाद ली गयी कार्रवाई की रिपोर्ट

समिति ने इसे नोट किया।

प्रतिवेदन के लिए रिपोर्ट

एफ़सी: 17.03: जून, 2017 और सितम्बर, 2017 की अंतिम तिमाही की अनुदान उपयोगीता रिपोर्ट

समिति को आवर्ती और गैर-आवर्ती मद के अनुदान की उपयोगिता के प्रगति के बारे में रिपोर्ट किया गया।

समिति ने उपयोग प्रगति को नोट किया।

एफ़सी:17.04: साल 2017-18 के लिए यूजीसी विज़-ए-विज़ गैर-आवर्ती अनुदान के निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय का व्यय और निर्माण परियोजना

नोट संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएचआरडी के प्रतिनिधि श्री फज़ल महमूद, उप सचिव (वित्त), एमएचआरडी जानना चाहते है कि क्या यांगयांग में रु 106.45 (अनुमानित लागत रु 103.97 करोड़) करोड़ से बनाया जा रहा सिक्किम विश्वविद्यालय परिसर चरण-1 (पैकेज-1) का "सिविल कार्य" आदेश जीएफ़आर 2017 और केंद्रीय सतर्कता आयोग एयूआर के दिशा-निर्देश का पालन करता है। क्योंकि प्रथम दृष्टि में परियोजना प्रबंधन सलाहकार, मेसर्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड सही क्रम में नहीं दिखाता है। हालाँकि, कुलपति और कुलसचिव ने इस मुद्दे पर ज़ोर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पीएमसी का चयन और "सिविल कार्य" का कार्यान्वयन जीएफ़आर और सीवीसी के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया गया है। हालाँकि, जेएस &एफ़ए, एमएचआरडी के प्रतिनिधि ने जीएफ़आर और सीवीसी के दिशानिर्देशों के प्रावधान के आधार मामले की समीक्षा करने को कहा।

समिति ने परियोजन के प्रगति को नोट किया।

अगले बैठक में भवन परियोजन की प्रगति पर पीपीटी प्रस्तुत किया जाएगा और विषय की जीएफ़आर और सीवीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समीक्षा की जा सकती है।

एफ़सी:17.05: साल 2016-2017 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा और विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वित्त अधिकारी ने सभी सदस्यों को बताया कि कई प्रयासों के बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा सी&एजी से साल 2016-2017 का वार्षिक लेखा और अंतिम एसएआर प्राप्त नहीं किया जा सका है।

सदस्यों ने चर्चा की और कार्यकारी समिति एवं एमएचआरडी में प्रस्तुत करने से पहले एसएआर के साथ 2016-17 के वार्षिक लेखा के अनुमोदिन के लिए कुलपति को अधिकृत किया। अगले वित्त समिति के बैठक में इसकी पुष्टि की जाएगी।

एफ़सी:17.06: शेष लेखा पैरा:

1) समिति द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक लेखा समिति के गठन का सुझाव दिया गया।

क) कुलपति	अध्यक्ष
ख) कुलसचिव	सदस्य
ग) वित्त अधिकारी	सदस्य
घ) आंतरिक लेखा अधिकारी	सदस्य
ङ) संयुक्त कुलसचिव	सदस्य और संयजोक

विभाग/विद्यापीठ/केंद्र/परियोजना आदि के प्रतिनिधि को जरूरी होने पर बैठक में बुलाया जा सकता है।

2) समिति ने शेष सभी पैरा के स्थिति के मूल्यांकन को अगले वित्त समिति की बैठक में करने का सुझाव दिया।

3) सदस्यों ने बैठक में किराया अनुदान/सहायता के मुद्दे पर भी चर्चा की लेकिन उनके बीच इस मुद्दे पर कोई आम राय नहीं बन पाई।

नोट: श्री फज़ल महमूद, उप सचिव (वित्त), एमएचआरडी, श्री सूरत सिंह, उप सचिव (सीयू और भाषा),एमएचआरडी और जितेंद्र के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (सीयू) ने सुझाव दिया कि किराया अनुदान का भुगतान अनियमित है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

प्रो. ए.के.दत्ता ने इस पर अपनी असहमति जाहीर करते हुए कहा कि सिक्किम में विशेष परिस्थिति होने के कारण कार्यकारी परिषद द्वारा किराया अनुदान का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष ने समिति को संकाय और कर्मचारी द्वारा आवास ना होना, अत्यधिक भाड़ा, प्रतिकूल किरायेदारी अधिनियम और भवन की कमी जैसे विभिन्न कारण की वजह से आवास मिलने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया, जिस कारण कार्यकारी परिषद द्वारा किराया अनुदान का निर्णय लिए गया है। प्रो. दत्ता और श्री एम.जी.किरण ने इसका समर्थन किया। प्रो. चेतन सिंह के विचार से विश्वविद्यालय के आरंभ के साल में संकाय और कर्मचारी को विश्वविद्यालय से जुडने के प्रोत्साहित के लिए अवश्यक था, लेकिन अब इस नियम की समीक्षा/बंद की जानी चाहिए। यह वर्तमान वित्तीय नियम के विरुद्ध है।

संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमएचआरडी के प्रतिनिधि ने दिनांक 3 मार्च 2016 को सभी कुलपति को संबोधित एमएचआरडी के पत्र सं 61-1912015-डेस्क (यू) द्वारा स्पष्ट रूप से निरूपित के अनुसार सभी नियमों/विनियमों को कड़ाई से अनुपालन करने तथा वित्तीय सम्पदा तथा वित्तीय अनुशासनों का पालन करने की आवश्यकता को दोहराया है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी दोहराया गया है।

4) सदस्यों ने कुलसचिव को दिए जा रहे दुगने एचआरए के बारे में चर्चा की और अध्यक्ष से इस मामले की जांचकर अगले वित्त समिति की बैठक में रिपोर्ट करने का अनुरोध किया।

<u>नोट:</u> श्री फज़ल महमूद, उप सचिव (वित्त), एमएचआरडी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ,एमएचआरडी के प्रतिनिधि की टिप्पणियों के अनुसार "एक स्थायी लेखा परीक्षा समिति आवश्य होनी चाहिए"। स्थायी लेखा परीक्षा समिति की बैठक हर महीने होनी चाहिए, भुगतान/लंबित ऑडिट पैरा के निपटान की निगरानी निरंतर एसएसी द्वारा की जानी चाहिए, और लंबे समय से लंबित लेखा पैरा के निपटान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके बाद, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान सूची के अनुसार व्यक्तिगत लेखा पैरा की समीक्षा

वित्त समिति द्वारा की जानी चाहिए। लंबे समय लंबित लेखा पैरा पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अवलोकनों को देखते हुए, एमएचआरडी के प्रतिनिधियों ने गंभीर चिंता व्यक्त की।

इसलिए, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार ,एमएचआरडी के प्रतिनिधि ने सभी लंबित लेखा पैरा को विश्वविद्यालय द्वारा जांच करने और मौजूदा नियमों एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, जहां कहीं भी आवश्यक हो, वसूल करने पर ज़ोर दिया। इसके अलावा, उन्होने विश्वविद्यालय के कुलपति/सक्षम प्राधिकारी को जवाब प्रस्तुत करने में गंभीर चूक/लेखा पैरा के निपटान के लिए अपेक्षित जानकारी में देरी के लिए जिम्मेदार के विरुद्ध उचित कारवाही पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने यह भी दोहराया कि कुलपति/विश्वविद्यालय के अधिकारियों को गंभीर चूक की जिम्मेदारियों को तय करने की एक प्रणाली लागू करनी चाहिए। तदनुसार, घोर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के लिए यूजीसी/एमएचआरडी के ज्ञापन के तहत जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए। साथ ही इस संबंध में की गयी कार्यवाही को अलग एजेंडा विषय के रूप में अगले वित्तीय समिति की बैठक में रखा जाए। इस संबंध में, किराये का अनुदान और कुलसचिव के दुगने एचआरए का भुगतान के मुद्दे पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया था।

अनुमोदन के लिए विषय

एफ़सी:17.07: सिक्किम विश्वविद्यालय का संशोधित बजट अनुमानों का अंतिम रूप 2017-18 (वेतन और आवर्ती)

समिति ने संशोधित बजट अनुमान 2017-18 के लिए अनुमोदन प्रदान किया (सिक्किम विश्वविद्यालय के वेतन और आवर्ती)

वित्त अधिकारी ने बताया कि साल 2017-18 के किताब और जर्नल के लिए रु एक करोड़ का और उपकरण के लिए रु एक करोड़ का अनावर्ती अनुदान पर्याप्त नहीं है। यूजीसी से इस मद में वर्तमान साल के लिए अधिक निधि जारी करने के लिए अनुरोध किया जाएँ।

एफ़सी:17.08: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मुद्दे, यदि कोई

अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित विषय को रखा गया:

1) यांगयांग में स्थाई परिसर के निर्माण के लिए अतरिक्त निधि

अध्यक्ष ने समिति को स्थाई परिसर नहीं होने के कारण होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। समिति ने इस विषय को सहानभूति के साथ सूचीबद्ध किया लेकिन स्पष्ट किया कि वर्तमान में कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि, समिति ने अध्यक्ष द्वारा उठाए गए इस विषय की सराहना की। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय भवनों को प्राथमिकता दें और यूजीसी को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएँ।

2) 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करना:
समिति ने विश्वविद्यालय को यूजीसी से कार्यान्वयन आदेश की प्राप्ति के बाद कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सलाह दी।

3) श्री पी.के.सिंह, पूर्व वित्त अधिकारी, सिक्किम विशविवद्यालय द्वारा दिनांक 06.10.2017 को संयुक्त सचिव, एमएचआरडी को पत्र भेजा गया:

डॉ. जे. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (सीयू), यूजीसी ने सदस्यों के समक्ष इस विषय को उठाया। अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि इस विषय का जवाब दिनांक 13.11.2017 को एमएचआरडी के साथ सचिव, यूजीसी को भेजा जा चुका है।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता./-
(प्रोफेसर ज्योति प्रकाश तामांग)

कुलपति (कार्यवाहक) और अध्यक्ष
वित्त समिति

हस्ता./-
(श्री. देबाशीष.पाल)

वित्त अधिकारी सह सचिव
वित्त समिति